पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 05.06.2026

मिशन शक्ति 5.0-"समाज की नई चेतना, साइबर सुरक्षा है अब हमारी जिम्मेदारी!"

थाना कृष्णानगर द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत पिकेडली तिराहा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ पर महिलाओं और बालिकाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर अपराध, यातायात और महिला कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किया जागरूक।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **12 अक्टूबर 2025** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत महिला पुलिस टीम द्वारा पिकेडली तिराहा पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत पिकेडली तिराहा पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक/आयोजन स्थान -

अभियान में सम्मिलित महिला पुलिस टीम-

- महिला उपनिरीक्षक गायत्री सिंह
- महिला कांस्टेबल प्रियंका राजपूत

स्थान- पिकेडली तिराहा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ

प्रतिभागी: -

अभियान में सम्मिलित महिला पुलिस टीम-

- महिला उपनिरीक्षक गायत्री सिंह
- महिला कांस्टेबल प्रियंका राजपूत

स्थान- पिकेडली तिराहा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ पर महिलाए व बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित **मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान** के क्रम में तथा पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन एवं उच्चाधिकारीगण द्वारा दिए गए आदेश-निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक **05/06/2026** को थाना कृष्णानगर क्षेत्रांतर्गत **पिकेडली तिराहा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ** में महिला पुलिस टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान महिला और बालिकाओं को महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। पुलिस टीम द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर **112, 1090, 181, 1076, 1098 एवं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल इन सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त उपस्थित महिलाओं को **महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, महिला सुरक्षा केंद्र, यूपी कॉप एप एवं एंटी रोमियो टीम** के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। महिलाओं को साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया धोखाधड़ी एवं बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के संबंध में भी जागरूक करते हुए आवश्यक सावधानियां अपनाने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को यह भी अवगत कराया गया कि **किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अथवा आपात स्थिति में बिना भय के तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें,** जिससे समयबद्ध एवं प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

अभियान के दौरान जागरूकता संबंधी जानकारी साझा करते हुए महिलाओं को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया। **उपस्थित महिलाओं ने पुलिस टीम द्वारा दी गई जानकारी को उपयोगी बताते हुए अभियान की सराहना की।**

निष्कर्ष एवं महत्व

1. **सामुदायिक जुड़ाव एवं सीधा संवाद:** यह आयोजन पुलिस प्रशासन और समुदाय विशेषकर महिलाओं के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ। अवध चौराहा जैसे सार्वजनिक स्थल पर आयोजन ने आम महिलाओं तक सीधे पहुंचना संभव बनाया।

2. जागरूकता का सीधा प्रसार: कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 20-25 महिलाओं एवं बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और उनके उपयोग की सीधी जानकारी प्रदान की गई। इससे उन्हें आपात स्थितियों में त्वरित और सही कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

3. महिला सुरक्षा संसाधनों से परिचय: थाना स्तर पर उपलब्ध महिला सुरक्षा केंद्र और हेल्प डेस्क जैसे विशेष संसाधनों के बारे में लोगों को अवगत कराना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे महिलाओं का पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वे शिकायत दर्ज करने में कम झिझक महसूस करेंगी।

4. सरकारी योजनाओं तक पहुंच: महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न राज्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें उनके अधिकारों और उपलब्ध लाभों के प्रति जागरूक किया गया। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है।

5. मिशन शक्ति अभियान की सार्थकता: यह कार्यक्रम "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर ले जाने का एक सफल प्रयास था। इससे स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता केवल कागजी दस्तावेज तक सीमित नहीं है।

6. सतत प्रयास का आधार: पम्पलेट वितरण जैसी पहल ने इस जागरूकता को एक स्थायी रूप दिया है, जिससे महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर इन जानकारियों का संदर्भ ले सकेंगी। कुल मिलाकर, यह कार्यक्रम एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था, जिसने महिला सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक और ठोस प्रभाव छोड़ा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 05.06.2026

मिशन शक्ति 5.0-

"सुरक्षित समाज की पहचान – सशक्त महिला, जागरूक इंसान!"

थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत बीट क्षेत्र कैलाशपुरी में स्थित इकोगार्डन पार्क में जाकर महिलाओं/बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान के तहत बाल एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, साइबर क्राइम, यूपी कॉप के बारे में किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला मुख्य आरक्षी रीमा रावत थाना आलमबाग लखनऊ कमिश्नेट।
- महिला आरक्षी अमिता पाल थाना आलमबाग लखनऊ कमिश्नेट।
- बीट क्षेत्र कैलाशपुरी में स्थित इकोगार्डन पार्क थाना आलमबाग में

प्रतिभाग-

- महिला मुख्य आरक्षी रीमा रावत थाना आलमबाग लखनऊ कमिश्नेट।
- महिला आरक्षी अमिता पाल थाना आलमबाग लखनऊ कमिश्नरेट।
- बीट क्षेत्र कैलाशपुरी में स्थित इकोगार्डन पार्क थाना आलमबाग में जाकर महिलाओं को किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 05.06.2026 को बीट क्षेत्र कैलाशपुरी में स्थित इकोगार्डन पार्क थाना आलमबाग में जाकर महिलाओं एवं बच्चों को **मिशन शक्ति अभियान**, महिला सुरक्षा एवं बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। साथ ही **महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी एवं यूपी कॉप एप** की उपयोगिता एवं उपलब्ध सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना था।

साइबर सुरक्षा जागरूकता :

महिलाओं को साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंकिंग विवरण अथवा व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी :

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बच्चों को 112, 1090, 1098, 181, 1076 एवं 1930 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई तथा आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का उपयोग करने हेतु जागरूक किया गया।

निष्कर्ष :

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के तहत आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों में सुरक्षा, आत्मविश्वास, कानूनी जागरूकता एवं साइबर सतर्कता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा संबंधी उपायों एवं उपलब्ध सहायता तंत्र के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

मिशन शक्ति 5.0-"जागरूकता जगाएं, मिशन शक्ति से जुड़ें, सुरक्षित और सशक्त समाज बनाएं।"

थाना बंथरा पुलिस टीम द्वारा बंथरा क्षेत्र में जाकर महिलाओं/बच्चों एवं पुरुषों को मिशन शक्ति के तहत साइबर अपराध, हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर अपराध व अपराध से बचाव को लेकर किया गया जागरूक।

दिनांक- 05.06.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना बंथरा द्वारा मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक गुलाब कली, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी मीनू अग्निहोत्री, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी रंजन सरोज, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना बंथरा क्षेत्र लखनऊ में

प्रतिभाग-

- महिला उपनरीक्षक गुलाब कली, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी मीनू अग्निहोत्री, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी रंजन सरोज, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना बंथरा क्षेत्र लखनऊ में भ्रमणशील होकर महिलाओं एवं छात्राओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक **05.06.2026** को थाना बंथरा क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण कर **मिशन शक्ति** अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टीम ने महिलाओं और बालिकाओं के बीच पहुंचकर उन्हें **महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और साइबर अपराधों** से बचाव के प्रति सचेत किया।

किसी भी आकस्मिक परिस्थिति या सहायता हेतु महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे **1090 (वूमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) और 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)** के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्हें ये नंबर नोट भी कराए गए। इसके साथ ही, महिलाओं को पिंक बूथ की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया गया ताकि वे बिना किसी संकोच के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। साइबर सुरक्षा के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिससे वे डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रह सकें और निडर होकर समाज में अपनी भूमिका निभा सकें।।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्थापित पिंक बूथ का मुख्य उद्देश्य-

महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेषज्ञ, संवेदनशील और अनुकूल सहायता केंद्र प्रदान करना है, जहाँ वे आसानी से पहुँच सकें और बिना किसी झिझक या भय के अपनी समस्याओं व शिकायतों को दर्ज करा सकें। इसे विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है:

1. महिला-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना: पिंक बूथ को एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ महिलाएँ और बच्चे स्वयं को सुरक्षित और सहज महसूस करें। यह पारंपरिक पुलिस थानों की तुलना में कम डरावना और अधिक सहायक माहौल प्रदान करता है।
2. विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्यबल: इन बूथों पर महिला पुलिस कर्मी तैनात की जाती हैं, जिन्हें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों, मनोवैज्ञानिक समर्थन और संवेदनशील संचार में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई: ये बूथ शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। इन्हें मिशन शक्ति के अन्य घटकों जैसे एंटी-रोमियो स्क्वाड, महिला सुरक्षा केंद्र और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों (1090, 112, 181 आदि) से सीधे जोड़ा जाता है, ताकि तुरंत सहायता भेजी जा सके।
4. जागरूकता और रोकथाम: पिंक बूथ न केवल प्रतिक्रियात्मक हैं, बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। इनके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।
5. डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराधों (जैसे- ऑनलाइन उत्पीड़न, फ़िशिंग आदि) के खतरों से बचाव के तरीकों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना भी इनका एक उद्देश्य है।

पिंक बूथ का उद्देश्य पुलिस प्रणाली में महिलाओं के प्रति विश्वास और पहुँच बढ़ाना है। यह केवल एक शिकायत केंद्र नहीं, बल्कि एक समर्पित सहायता प्रणाली है जो महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 05.06.2026

मिशन शक्ति 5.0-अलीगंज के नीरा तिराहा पर जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में को सशक्त बनाने का अनूठा अभियान

थाना अलीगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 05/06/2026 नीरा तिराहा थाना अलीगंज जनपद लखनऊ बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

अयोजक/आयोजन स्थल

- **उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा**, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **उप निरीक्षक रविंद्र नाथ प्रजापति,** थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **मिशन शक्ति पुलिस टीम**, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **नीरा तिराहा क्षेत्र में।**

प्रतिभाग-

- **उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा**, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **उप निरीक्षक रविंद्र नाथ प्रजापति,** थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **उप निरीक्षक उषा सिंह,** थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **मिशन शक्ति पुलिस टीम**, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **अलीगंज के नीरा तिराहा पर जाकर** महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरुक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **05.06.2026** को थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ की टीम द्वारा **नीरा तिराहा पर जाकर** महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को **महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकारों** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न **पुलिस हेल्पलाइन नंबरों** के बारे में जागरूक करते हुए **112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन) एवं 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)** की जानकारी दी गई तथा आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

मिशन शक्ति टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं को **महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी सेवा एवं यूपी कॉप एप** के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा उत्पीड़न की स्थिति में इन सुविधाओं का लाभ लेकर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है।

वर्तमान समय में बढ़ रहे **साइबर अपराधों** के दृष्टिगत महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया गया। उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, सोशल मीडिया फ्रॉड एवं ओटीपी साझा करने से होने वाले जोखिमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने हेतु **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में अवगत कराया गया।

अभियान के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को सतर्क, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें अपने अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं एवं बच्चों में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 05.06.2026

मिशन शक्ति 5.0-"शिक्षा की रोशनी, सुरक्षा की शक्ति, मदेयगंज पुलिस के साथ मिशन शक्ति!"

थाना मदेयगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत डालीगंज क्रॉसिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला/पुरुष, छात्र-छात्राएं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, साइबर अपराध, सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करके यातायात एवं यूपी-कॉप के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र अभियान है।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और **पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार**, **पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के** मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है

आयोजक/आयोजन स्थल-

जागरूकता करने वाली टीम, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।

- **म0आ0 विमलेश**
- **म0आ0 रीना राव**
- **मिशन शक्ति टीम, एंटी रोमियो टीम एवं पिंक बूथ स्टाफ**

स्थान : डालीगंज क्रॉसिंग, थाना मदेयगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

प्रतिभाग-

जागरूकता करने वाली टीम, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।

- **म0आ0 विमलेश**
- **म0आ0 रीना राव**
- **मिशन शक्ति टीम, एंटी रोमियो टीम एवं पिंक बूथ स्टाफ**

स्थान : डालीगंज क्रॉसिंग, थाना मदेयगंज, कमिश्नरेट लखनऊ पर महिलाओं एवं छात्राओं, को किया गया जागरूक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी द्वारा संचालित **मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान** के अंतर्गत तथा **पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ** के निर्देशन में आज दिनांक **05.06.2026** को थाना **मदेयगंज** क्षेत्र में मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

स्थान : डालीगंज क्रॉसिंग, थाना मदेयगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

कार्यक्रम के दौरान टीम द्वारा डालीगंज क्रॉसिंग पर आने-जाने वाली महिलाओं एवं छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।

महिलाओं एवं छात्राओं को **महिला हेल्पलाइन-1090, महिला शक्ति हेल्पलाइन-181, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर हेल्पलाइन-1930, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-102 एवं 108 तथा अग्निशमन सेवा-101** के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का तत्काल उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

इस दौरान महिला सुरक्षा संबंधी **पम्पलेट वितरित** किए गए तथा **एंटी रोमियो टीम, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल एवं महिला शक्ति केंद्र** की कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता के संबंध में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा उपलब्ध सरकारी सहायता तंत्र के प्रति निरंतर जागरूक किया जा रहा है, जिससे वे स्वयं को सुरक्षित एवं सशक्त महसूस कर सकें।

मिशन शक्ति 5.0: एक संक्षिप्त विवरण

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

मुख्य कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य:

- महिलाओं एवं छात्राओं को यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा जैसे अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090 (वूमेन पावरलाइन), 181, 1098, 1076, 1930, 101, 102, 108 आदि की जानकारी प्रदान की गई।
- छात्राओं को शिक्षा के महत्व एवं उनके शैक्षिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों, जैसे POCSO अधिनियम, के बारे में बताया गया।
- एंटी रोमियो टीम, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल एवं महिला शक्ति केंद्र की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।

निष्कर्ष

मिशन शक्ति 5.0 महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सराहनीय और सतत प्रयास है। यह अभियान केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनने का प्रयास है। महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और हेल्पलाइन सुविधाओं से अवगत कराकर यह अभियान उन्हें आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-929
दिनांक-05.06.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 05 अदद चोरी की मोटरसाइकिल/स्कूटी बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **02.06.2026** को वादी **शौर्य शुक्ला पुत्र आशीष शुक्ला निवासी निराला नगर, थाना हसनगंज, लखनऊ** द्वारा अपनी मोटरसाइकिल चोरी हो जाने के संबंध में थाना वजीरगंज पर तहरीर दी गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर **मु0अ0सं0 135/2026 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम को लगाया गया।

मुकदमे के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक **05.06.2026** को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा **शहीद स्मारक के पीछे झाड़ियों के पास** से समय करीब 13.30 बजे घेराबंदी कर अभियुक्तगण 1. राहुल कुमार पुत्र संदीप कुमार नि0 ग्राम पनगवां थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज उम्र 22 वर्ष 2. अजीत कुमार पुत्र रामगुलाम हाल पता यादव चौराहे के आगे करियर मेडिकल के पास थाना मड़ियांव लखनऊ मूल पता ग्राम हजरतपुर थाना तंबौर तहसील लहरपुर जिला सीतापुर उम्र 30 वर्ष 3. रूपचंद पुत्र रामपाल निवासी हमरई गांव थाना इंदिरानगर लखनऊ उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से **05 अदद चोरी की मोटरसाइकिल/स्कूटी** बरामद की गई। बरामद वाहनों के संबंध में आवश्यक सत्यापन एवं अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं व नशे के आदी हैं, छोटी मोटी चोरियां नशे के लिये करते है दोबारा चोरी नहीं करेंगें।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राहुल कुमार पुत्र संदीप कुमार नि0 ग्राम पनगवां थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज उम्र 22 वर्ष
2. अजीत कुमार पुत्र रामगुलाम हाल पता यादव चौराहे के आगे करियर मेडिकल के पास थाना मड़ियांव लखनऊ मूल पता ग्राम हजरतपुर थाना तंबौर तहसील लहरपुर जिला सीतापुर उम्र 30 वर्ष
3. रूपचंद पुत्र रामपाल निवासी हमरई गांव थाना इंदिरानगर लखनऊ उम्र 42 वर्ष

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 135/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/345(3) बी0एन0एस0 थाना वजीरगंज लखनऊ।

05-बरामदगी विवरण –

- मोटरसाइकिल टीवीएस विक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 32 HJ 1206 है, इंजन नम्बर EF1KG1626040,
- मोटरसाइकिल टीवीएस रेडॉन रजिस्ट्रेशन नम्बर UP32KP 3048
- मोटरसाइकिल सुपर स्पलेंडर बारंग रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 32 GE 3556, इंजन नम्बर JA05ECF9D13998, चेचिस नम्बर MBLJA05EMF9D13986
- स्कूटी एक्टिवा रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 32 GV 9575, इंजन नम्बर JF50ET3045985, चेचिस नम्बर ME4JF505AGT045628
- मोटरसाइकिल स्पलेंडर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 32 BE 0090, इंजन नम्बर 04H15E45055, चेचिस नम्बर 04H16F44758

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री शिवम अवस्थी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री विकास बाबू थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री रवीन्द्र कुमार थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
5. का0 चन्दन यादव थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
6. का0 प्रवीन यादव थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-927

दिनांक-05.06.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **05.06.2026** की रात्रि में थाना गुडम्बा के **उ0नि0 संदीप सिंह गौर** मय हमराही पुलिस बल क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं गश्त पर मौजूद थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि **ग्राम बसहा में आयोजित एक जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल एक व्यक्ति के पास अवैध पिस्टल है तथा वह कार्यक्रम स्थल से निकलकर आसपास के क्षेत्र में घूम रहा है।**

सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल सक्रिय हुई तथा संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में ग्राम बसहा पहुंची। तलाश के दौरान ग्राम बसहा स्थित एक खाली प्लॉट में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसे रोककर नाम-पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम **राजू उर्फ काजू पुत्र नागेश्वर, निवासी ग्राम बसहा, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 24 वर्ष** बताया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से **01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर** बरामद हुआ। पुलिस द्वारा पिस्टल के संबंध में लाइसेंस अथवा अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु अभियुक्त कोई वैध प्रपत्र नहीं दिखा सका।

अवैध असलहा एवं कारतूस बरामद होने पर अभियुक्त को नियमानुसार समय **02:40 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया। इस संबंध में थाना गुडम्बा पर **मु0अ0सं0 224/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ से अभियुक्त द्वारा गलती की माफी मांगते हुए अपनी सफाई वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बता रहा है।

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 224/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुडम्बा लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. राजू उर्फ काजू पुत्र नागेश्वर निवासी ग्राम बसहा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।

05-बरामदगी

- 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री संदीप सिंह गौर
3. उ0नि0 श्री अतीश कुमार सिंह
4. का0 दीपक
5. का0 सूर्य प्रकाश यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं-928
दिनांक-05.06.2026

कमिश्नरेट लखनऊ में साइबर जागरूकता विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन

मुख्य बिंदु :

- 71 रिक्रूट आरक्षियों को साइबर सुरक्षा एवं फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका का प्रशिक्षण
- साइबर सेल के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने साझा किए साइबर अपराध रोकथाम के व्यावहारिक उपाय
- NCRP, संचार साथी, I4C एवं StopNCII.org पोर्टलों की दी गई विस्तृत जानकारी
- डिजिटल साक्ष्य संरक्षण एवं साइबर शिकायत निस्तारण प्रक्रिया पर विशेष प्रशिक्षण
- साइबर हेल्पलाइन 1930 के प्रभावी उपयोग के संबंध में किया गया जागरूक
- WHOIS Domain Lookup सहित विभिन्न साइबर टूल्स का कराया गया व्यावहारिक प्रदर्शन
- साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु रिक्रूट आरक्षियों का क्षमता संवर्धन कार्यक्रम सम्पन्न

कार्यक्रम का आयोजन एवं कार्यस्थल :

यह कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार**, तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत** के प्रभावी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर अपराध) **श्री सुशील यादव** के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.06.2026 को **संगोष्ठी सदन, रिजर्व पुलिस लाइन्स, कमिश्नरेट लखनऊ** में **"साइबर जागरुकता"** के विषय पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य :

वर्तमान डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति नव नियुक्त पुलिसकर्मियों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना, उन्हें साइबर अपराधों की प्रारम्भिक पहचान, शिकायत निस्तारण प्रक्रिया तथा **फर्स्ट रिस्पॉन्डर (First Responder)** के रूप में उनकी भूमिका एवं दायित्वों से अवगत कराना इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रहा।

प्रतिभागिता एवं प्रशिक्षण व्यवस्था :

कार्यशाला में **वर्ष 2025 बैच के 71 रिक्रूट आरक्षियों** ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कमिश्नरेट लखनऊ की Specialized Training शाखा द्वारा किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को साइबर अपराधों से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।

विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण सत्र का संचालन **उपनिरीक्षक श्री राकेश मिश्रा** एवं **महिला उपनिरीक्षक श्रीमती आरती वर्मा, साइबर सेल लखनऊ** द्वारा किया गया। प्रशिक्षकों द्वारा साइबर ठगी के नवीन तरीकों, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ऑनलाइन वित्तीय अपराधों की रिपोर्टिंग तथा साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही साथ प्रतिभागियों को साइबर अपराधों की प्रकृति, जांच प्रक्रिया, शिकायत प्रबंधन तथा आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के प्रभावी तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के प्रमुख विषय :

प्रशिक्षण के दौरान निम्न विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई—

- साइबर अपराधों के प्रकार एवं उनकी रोकथाम।
- फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिसकर्मियों की भूमिका।
- ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी एवं उससे बचाव के उपाय।
- **NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal)** का उपयोग एवं शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया।
- **संचार साथी पोर्टल** की उपयोगिता एवं डिजिटल सुरक्षा संबंधी सेवाएं।
- **I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre)** से संबंधित जानकारी।
- **StopNCII.org** के माध्यम से निजी/अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसार की रोकथाम संबंधी उपाय।
- **WHOIS Domain Lookup** के माध्यम से वेबसाइट एवं डोमेन संबंधी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया।
- डिजिटल साक्ष्य संरक्षण एवं साइबर अपराध की रिपोर्टिंग की विधि।
- साइबर हेल्पलाइन **1930** के प्रभावी उपयोग के संबंध में जानकारी।

व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं केस अध्ययन :

रिक्रूट आरक्षियों को साइबर अपराधों की पहचान, शिकायत प्राप्त होने पर की जाने वाली प्रारम्भिक कार्रवाई, डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण एवं विभिन्न साइबर पोर्टलों के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान **NCRP पोर्टल, संचार साथी, I4C, StopNCII.org एवं WHOIS Domain Lookup** जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म का लाइव डेमो देकर उनके उपयोग की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही साइबर हेल्पलाइन **1930** पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

भविष्य की कार्ययोजना :

कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता विकास को प्राथमिकता देते हुए भविष्य में भी रिक्रूट पुलिसकर्मियों, थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं आमजन हेतु ऐसे प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे साइबर अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष :

प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से रिक्रूट आरक्षियों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल जागरूकता एवं साइबर अपराधों से निपटने के व्यावहारिक पहलुओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। यह प्रशिक्षण उन्हें भविष्य में आमजन की सहायता करने, साइबर अपराधों के मामलों में प्रभावी प्रथम प्रतिक्रिया देने तथा साइबर सुरक्षित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाएगा।

- पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

"आपकी सुरक्षा, हमारी प्रतिबद्धता"

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-926

दिनांक-05.06.2026

जोन-पूर्वी/थाना-चिनहट

➤ **थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा दहेज की मांग को लेकर हत्या करने वाले 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 295/26 धारा-80(2)/85 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आशुतोष तिवारी पुत्र शिवानन्द तिवारी निवासी ग्राम मीतपुर रामनगर जिला बाराबंकी उम्र 24 वर्ष लगभग को उसके किराये का मकान कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट से गिफ्तार किया गया। जिसको हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02- कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 04.06.2026 को वादी मुकदमा संजय कुमार मिश्रा पुत्र श्री राम कृपाल मिश्रा निवासी मोहिनी का पुरवा हुसैनाबाद दौलतगंज रोड लखनऊ के द्वारा विपक्षीगण द्वारा वादी की पुत्री मोनिका मिश्रा उम्र लगभग 25 वर्ष को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित करके वादी की पुत्री की मृत्यु कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-295/26 धारा 80/80(2) बीएनएस 3/4 डीपी एक्ट बनाम- 1.(पति) आशुतोष तिवारी पुत्र शिवानन्द तिवारी 2.(ससुर) शिवानन्द तिवारी 3.सास नाम अज्ञात निवासीगण ग्राम मीतपुर रामनगर जिला बाराबंकी पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एसीपी विभूतिखण्ड द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचक एसीपी विभूतिखण्ड द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल प्रभाव से टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा नामजद अभियुक्त आशुतोष तिवारी उपरोक्त को उसके किराये के मकान कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आशुतोष उपरोक्त को हिरासत पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा अन्य नामजद अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता व अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आशुतोष तिवारी पुत्र शिवानन्द तिवारी निवासी ग्राम मीतपुर रामनगर जिला बाराबंकी उम्र 24 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 295/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस 3/4 डीपी एक्ट थाना चिनहट लखनऊ।

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय थाना चिनहट जनपद लखनऊ
2. हे0का0 अरूण कुमार थाना चिनहट जनपद लखनऊ
3. का0 विनय शुक्ला थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-926
दिनांक-05.06.2026

जोन-पूर्वी/थाना-चिनहट

➢ **थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा दहेज की मांग को लेकर हत्या करने वाले 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 295/26 धारा-80(2)/85 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आशुतोष तिवारी पुत्र शिवानन्द तिवारी निवासी ग्राम मीतपुर रामनगर जिला बाराबंकी उम्र 24 वर्ष लगभग को उसके किराये का मकान कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट से गिफ्तार किया गया। जिसको हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02- कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 04.06.2026 को वादी मुकदमा संजय कुमार मिश्रा पुत्र श्री राम कृपाल मिश्रा निवासी मोहिनी का पुरवा हुसैनाबाद दौलतगंज रोड लखनऊ के द्वारा विपक्षीगण द्वारा वादी की पुत्री मोनिका मिश्रा उम्र लगभग 25 वर्ष को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित करके वादी की पुत्री की मृत्यु कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-295/26 धारा 80/80(2) बीएनएस 3/4 डीपी एक्ट बनाम- 1.(पति) आशुतोष तिवारी पुत्र शिवानन्द तिवारी 2.(ससुर) शिवानन्द तिवारी 3.सास नाम अज्ञात निवासीगण ग्राम मीतपुर रामनगर जिला बाराबंकी पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एसीपी विभूतिखण्ड द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचक एसीपी विभूतिखण्ड द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल प्रभाव से टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा नामजद अभियुक्त आशुतोष तिवारी उपरोक्त को उसके किराये के मकान कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आशुतोष उपरोक्त को हिरासत पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा अन्य नामजद अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता व अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आशुतोष तिवारी पुत्र शिवानन्द तिवारी निवासी ग्राम मीतपुर रामनगर जिला बाराबंकी उम्र 24 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 295/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस 3/4 डीपी एक्ट थाना चिनहट लखनऊ।

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय थाना चिनहट जनपद लखनऊ
2. हे0का0 अरूण कुमार थाना चिनहट जनपद लखनऊ
3. का0 विनय शुक्ला थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-925
दिनांक-05.06.2026

जोन-पूर्वी/थाना-चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 3520/- रूपये बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-296/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में अभियुक्त दिपांशु गौतम उर्फ मुकन्दी पुत्र रंजीत गौतम पता माया मैरिज लान ग्राम चांदन सीमैप थाना इन्दिरानगर लखनऊ मूलपता ग्राम कुड़िलवा शाहपुर थाना माती जनपद बाराबंकी उम्र 22 वर्ष लगभग को रेल बिहार कालोनी वाली रोड पर कठौता झील के पास से गिफ्तार किया गया। जिसको हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02- कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 04.06.2026 को वादी मुकदमा सतीश कुमार यादव सिंह पुत्र श्री राम आसरे निवासी हाल पता 2-ए मल्हौर स्टेशन रोड (इण्डियन बैंक के सामने) चिनहट थाना चिनहट लखनऊ के द्वारा अज्ञात चोर द्वारा वादी की वाहन सख्या UP32NQ8591 बजाज प्लेटिना बाइक चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-296/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम-1. अज्ञात पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना उ0नि0 तेज शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व वाहन बरामदगी हेतु उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक चिनहट द्वारा तत्काल टीम गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। तथा गठित टीम द्वारा घटना घटित होने के 24 घण्टे के अन्दर वाहन चोरी करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्त दिपांशु गौतम उर्फ मुकन्दी पुत्र रंजीत गौतम पता माया मैरिज लान ग्राम चांदन सीमैप थाना इन्दिरानगर लखनऊ मूलपता ग्राम कुड़िलवा शाहपुर थाना माती जनपद बाराबंकी उम्र 22 वर्ष को को रेल बिहार कालोनी वाली रोड पर कठौता झील के पास से गिफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा चोरी किया गया वाहन को अपने साथी को बेच दिया गया था। बेचे हुए पैसे में से कुल 3520/- रू0 बरामद किया गया। तथा पुलिस टीम द्वारा वाहन बरामदगी व बेचने वाले साथी की तलाश लगातार की जा रही है। विवेचक उपरोक्त द्वारा बरामदगी व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा-317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी तथा अभियुक्त उपरोक्त के हिरासत पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिपांशु गौतम उर्फ मुकन्दी पुत्र रंजीत गौतम पता माया मैरिज लान ग्राम चांदन सीमैप थाना इन्दिरानगर लखनऊ मूलपता ग्राम कुड़िलवा शाहपुर थाना माती जनपद बाराबंकी उम्र 22 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 296/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ।

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05-बरामदगी-

- 3520/- रू0 नगद

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 तेज कुमार शुक्ला थाना चिनहट जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 बिट्टू थाना चिनहट जनपद लखनऊ
3. हे0का0 आनन्द सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ
4. रि0का0 जतिन वर्मा थाना चिनहट जनपद लखनऊ।